

1

पत्र - २

—:: जिला शिक्षा अधीक्षक का कार्यालय, बोकारो ::—

संख्यांक : RT.5/312/15-16/389

तारीख : 13.04.16

प्रबन्धक/अध्यक्ष,
डॉ राजेन्द्र प्रसाद पब्लिक स्कूल, सेक्टर-8/बी,
बोकारो स्टील सिटी, झारखंड।

विषय :- निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा दिनांक 05 फरवरी 2015 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात् हुए पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, मैं डॉ राजेन्द्र प्रसाद पब्लिक स्कूल, सेक्टर-8/बी, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड, पिन-827009 शैक्षणिक सत्र-2016-17 से कक्षा 01 से 08 तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

❖ उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों को पूर्णरूपेण पालन करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा से उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध करेगा।

करेगा।

उक्त कंडिका-3 में उल्लेखित बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संचालित करेगा।

Principal
Dr. Rajendra Prasad Public School,
Sector - VIII/B, Bhagalpur More,
Near Street No. 7, Bokaro Steel City - 827009 (Jharkhand)

Secretary

R. Prasad Shaishanik Sansthan

—:: जिला शिक्षा अधीक्षक का कार्यालय, बोकारो ::—

5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक को कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा :

- i. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- ii. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा।
- iii. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
- vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (i) के अधीन घोषित सक्षम अधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ताएँ के अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहर्ता अधिनियम 2009 के लागू होने के समय नहीं है, पाँच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्ताएँ अर्जित कर लेंगे।
- vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (i) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और
- viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किरायेकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय अध्यक्ष प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

Dr. Rajendra Prasad Public School
Sector - VIII/B, Bhagalpur More,
Near Street-17, Ranipokhar,
Bhagalpur (Jharkhand)

सब कर्मों का अब यही है नारा, शिक्षा है अधिकार हमारा

Secretary
R. Prasad Shaishanik Sansthan

9. विद्यालय अभिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।

10. विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :

- i. विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल - 1.5 acres (65340 square feet)
- ii. कुल निर्मित क्षेत्र - 0.5 acres (21780 square feet)
- iii. क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल - 1.0 acres (43560 square feet)
- iv. कक्षाओं की संख्या - 21 (Twentyone)
- v. प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्ष 1 (One)
- vi. बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - 6 (Six) Toilet (Four Toilet for Boy's & Two Toilet for Girl's)
- vii. पेयजल सुविधा - Aquaguard - One, Tap Water - Six
- viii. मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई (सरकारी विद्यालय) - N/A
- ix. बाधारहित पहुंच - Yes
- x. अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकुद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता - Yes

11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई और गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।

12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।

15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

Dr. Rajendra P. Public School
Section 10, Bhabha Nagar, More.
Near Street-17, Bhabha Nagar,
Bokaro Steel City - 827003 (Jharkhand)


Secretary
R. Prasad Shaishanik Sansthan


16. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1861 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक- BOK/2016-17/03

इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का प्रयोग किया जाय।

13/04/16
जिला शिक्षा अधीक्षक,
बोकारो


Principal
Dr. Rajendra Pd. Public School
Sector - VIII/B, Bhagalpur More.
Near Street-17, Rampokhar,
Bhagalpur City - 827009 (Jharkhand)


Secretary
R. Prasad Shaishanik Sansthan

“सब बच्चों का अब यही है नारा, शिक्षा है अधिकार हमारा”